APP-A
Crim-I

FROM No.-III

फर्द अहकाम

(नि. ि-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट आगूंचा

सीमा पुत्री मिश्री लाल सेन निवासी आगूंचा बनाम राधेश्याम पिता लादूराम नाई वगेरह निवासी आगूंचा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53 रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 31 /2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
05.06.2017	पत्रावली आज लोक अलदालत केम्प कोर्ट अगूचा पर पेश हुई । वकील उभय पक्ष उपस्थित । वकील वादी ने कथन किया कि मामला मातृ भूमि विभाजन का है वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादी स.–1 से लगायत 5 की संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजियात है। जिसमे वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 5 का 1/2 हिस्सा निहित है और इसी हक हिस्से अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । वकील वादी का बहस मे आगे यह भी कथन था कि आराजी मुतदाविया का पूर्व मे विभाजन हो रखा है परन्तु राजस्व रेकार्ड मे अगलदरामद नहीं होने से पक्षकारान के मध्य आये दिन भूमि की कमी बेसी को लेकर विवाद बना रहता है । इसी लिये माफिक हक हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन करवाया जावें । मैने वकील वादी को सुना बहस पर मनन किया पत्रावली मे उपब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया विवेचन निम्न प्रकार से रहा है । पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी संवत 2072 से 2075 मौजा आगूंचा प्रथम तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर 5201, 5202, 5210 किता 3 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा भूमि राधेश्याम , गोवर्धन , सांवर लाल, पुखराज, पिता लादूराम मु. छाउ बेवा लादूराम , सीमा पुत्री मिश्री लाल , कमला बेवा मिश्री लाल नाई साकिन दे हके नाम दर्ज होना इसी प्रकार मौजा भगवानपुरा की आराजी नम्बर 5239 रकबा 14 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है । यहा वादी का कथन है कि आराजी मुतदावीया का पूर्व मे विभाजन हो रखा है किन्तु राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद नहीं होने से भूमि की कमी बेसी को लेकर आये दिन विवाद होते रहते है । जिसके विपरित प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के न तो न्यायालय मे उपस्थित हुये ओर न ही उनके द्वारा वादी का वाद का कोई खण्डन किया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया ऐसी स्थिति मे वादी के वाद की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है । क्योंकि वादीगण आराजी मुतदावीया के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हे अपनी भूमि का विभाजन करवाने का पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावावदी स्वीकार किये जाने योग्य है । **–: निर्णयः–** दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर मौजा आगूंचा के आराजी नम्बर 5201, 5202, 5210 किता 3 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा तथा मौजा भगवानपुरा पटवार मण्डल आगूंचा की आराजी नम्बर 5239 रकबा 14 बीघा भूमि के खातेदार व काश्तकारों के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुलाबपुर
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

लगान के विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरड़ा को पाबन्द किया जाता है कि वह उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें । निर्णय आज दिनांक 05.06.2017 को खुली लोक अलादलत मे सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

05.06.20417

तहसीलदार हुरड़ा मे अपने पत्र दिनांक 05.06.2017 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली पेश हुई । विभाजन प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1– सीमा पुत्री मिश्री लाल, कमला बेवा मिश्री लाल नाई साकिन देह के हिस्से मे :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
भगवानपुरा	5239/1	07 बीघा	2.80
कुल किता 1		07 बीघा	2.08

2–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
आगूचा	5210/1	07 बीघा 08 बिस्वा	
	5201/1	01 बीघा 16 बिस्वा	
	5202/1	01बीघा 13 बिस्वा	
कुल किता 3		10 बीघा 17 बिस्वा	18.44

3– राधेश्याम,गोर्धवधन ,सांवर लाल, पुखराज पिता लादूराम, मु. छाउ बेवा लादूराम नाई साकिन देह के हिस्से मे

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
भगवानपुरा	5239/2	07 बीघा	2.80
कुल किता 1		07 बीघा	2.08

4–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
आगूचा	5210/2	07 बीघा 09 बिस्वा	
	5201/2	01 बीघा 16 बिस्वा	
	5202/2	01बीघा 13 बिस्वा	
कुल किता 3		10 बीघा 18 बिस्वा	18.54

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावें ।

Scanned by CamScanner

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिकी पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 05.06.2017 को खुली लोक अदालत मे सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner